

## विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 327/वि०स०/संसदीय/०९(सं)/२०१७

लखनऊ, दिनांक 14 मार्च, 2020

### अधिसूचना

#### प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 14 मार्च, 2020 सर्वाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

“ ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद-174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एतद्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2020 के प्रथम सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करती हूँ।

आनंदीबेन पटेल,

राज्यपाल,  
उत्तर प्रदेश।”

आज्ञा से,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव,  
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 327(1)/वि०स०/संसदीय/०९(सं)/२०१७, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-माननीय सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- 2-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 3-अपर मुख्य सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 4-मा० मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा० मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 5-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा० अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 6-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
- 7-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,

- 8-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,  
 9-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,  
 10-समस्त मार्गीयों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,  
 11-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,  
 12-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,  
 13-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा,  
 14-लोक सभा सचिवालय, कान्फ्रेन्स ब्रान्च, नई दिल्ली,  
 15-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 86, संसद भवन, नई दिल्ली,  
 16-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,  
 17-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,  
 18-प्रमुख सचिव/सचिव, अन्य राज्य विधान परिषद्/विधान सभा,  
 19-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,  
 20-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,  
 21-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,  
 22-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,  
 23-पुलिस कमिशनर, लखनऊ,  
 24-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,  
 25-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,  
 26-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,  
 27-निदेशक दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,  
 28-संयुक्त निदेशक, ऐशबाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,  
 29-प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव की सूचनार्थ,  
 30-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,  
 31-विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेबसाइट पर अपलोड कराए जाने हेतु।

अशोक कुमार,  
 संयुक्त सचिव।